क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा मय हस्ताक्षर	विवरण
	29.03.2019	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री रामावतार सैन एडवाकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना गया। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र भी पेश किया। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी को सुनने पर मामला प्रथम दृष्टया अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का होना जाहिर किया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी सुनवाई तिथि 09/5/2019 तक पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 581, 582, 584, 590, 591, 596, 597, 607, 610, 611, 617, 618, 648, 649, 674, 675, 689, 691, 692, 708, 765, 766, 769 कुल किता 23 कुल रकबा 36 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बावडी कौशल्यादास तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित विवादित आराजीयात में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 09/5/2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	
	9/5/19	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.7.19 को पेश है।	
	11.7.19	वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 10/10/19 को पेश हो।	
	6.9.19	पत्रावली मूलवाद के प्रार्थना पेश करने पर तलब की गई। वकील वादीगण के प्रार्थना T.I. को नोट प्रेस किया है। अतः वकील प्रार्थीगण के नोट प्रेस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना T.I. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर (दफ्तर) हो।	Not Press 6/9/19

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)